की तामील के समय की तामील विलम्ब से
हुई है एवं अभियोजन दिनांक 3/2/12 को
गवाह के परीक्षित होने के कारण न्यायालय में उपस्थित
नहीं हो सका था और दिनांक 16/4/12 को अभियुक्त
के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित
दिनांक 27/3/12 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री
अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पारित
की गई है जो विधि विरुद्ध है। अतः निरस्त फलतः
जाकर अभियुक्त को पुनर्वाद कार्यवाही किये जाने
का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता
के जवाब शपथ में अभियुक्त द्वारा दिनांक 3/2/12
के समन की तामील अस्वीकार किया है
और दिनांक 16/4/12 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही
को विधिसम्मत बताया है। एवं निर्णय व डिक्री दिनांक
27/3/12 को विधि सम्मत होना बताया है।

पत्रावली के अवलोकन करने पर मूलवाद
में दिनांक 3/2/12 के समन की तामील अस्वीकार
अभियुक्त पर हुई है और दिनांक 16/4/12 तक अ-
भियुक्त का न्यायालय में उपस्थित नहीं होना अभियुक्त
की सावधानी को एवं अभियुक्त द्वारा जानबूझ कर
न्यायालय में उपस्थित नहीं होना प्रकट करता है।
अभियुक्त द्वारा प्रार्थी मोतीलाल के दीवानी दायित्व
को अस्वीकार पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः
इस प्रकार अभियुक्त को प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही
निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होना प्रतीत होता
है। ऐसी स्थिति में शपथ अभियुक्त सारहीन
है और चलने योग्य नहीं है।

अतः शपथ अभियुक्त 09 R 13 CPC
खारिज किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध हुआ
दोनों पक्षों ले कम्प्यूटर मूलवाद के साथ
संलग्न करें।